

प्रेषक,
आर.सी.अग्रवाल,
अपर सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।
सेवा में,
समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

वित्त अनुभाग-1

देहरादून:: दिनांक: 04 :अप्रैल,2012

विषय:-13वाँ वित्त आयोग की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के अनुसार वित्तीय वर्ष 2011-12 में गैर निष्पादक राज्यों के सामान्य निष्पादन अनुदान की रोकी गई धनराशि के सापेक्ष अन्तरण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि गैर निष्पादक राज्यों की सामान्य निष्पादन अनुदान के अन्तर्गत रोकी गई धनराशि के वितरण हेतु 13वाँ वित्त आयोग द्वारा संस्तुत अनुदानों के विमुक्ति एवं उपयोग हेतु निर्गत भारत सरकार के दिशा-निर्देश जो उनके पत्रांक एफ.12(2) एफ.सी.डी./2010 दिनांक 23.09.2010 में इंगित शर्त संख्या 7.1 एवं 7.2 के अनुसार उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में भारत सरकार के पत्रांक सं0 एफ.12(3)एफ.सी.डी./2010 दिनांक 31 मार्च, 2012 के क्रम में ग्राम पंचायतों हेतु ₹17179000.00 (एक करोड़ इक्कहत्तर लाख उनासी हजार मात्र) को संलग्नानुसार निम्नलिखित शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय आवंटन की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- 2- अन्तरित की जा रही धनराशि वेतन एवं भत्तों आदि पर व्यय नहीं की जा सकेगी।
- 3- 13वाँ वित्त आयोग द्वारा संस्तुति की गई है कि अन्तरित धनराशि से निम्न कार्य कराये जा सकते हैं:-
 - (1) पथ प्रकाश (2) पेयजल योजनाओं का अनुरक्षण (3) स्वच्छता (4) पेयजल
 - (5) परिसम्पत्तियों का निर्माण (6) स्वजल धारा कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्मित जलापूर्ति परिसम्पत्तियों को अपने हाथ में लेकर उनका अनुरक्षण किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त परिसम्पत्तियों के निर्माण आदि कार्य किये जाने चाहिए।
- 4- जिला पंचायतों को अन्तरित की गई धनराशि कोषागार से आहरण करने हेतु बिल जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा तैयार किए जाएंगे जिसे जिलाधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित किया जाएगा।
- 5- जिला पंचायत राज अधिकारी प्रत्येक स्थिति में एक सप्ताह के अन्दर सम्बंधित ग्राम पंचायत को धनराशि चैक/ड्राफ्ट के माध्यम से प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे।
- 6- अवमुक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र ग्राम पंचायत के सम्बंध में जिला पंचायत राज अधिकारी सम्बंधित जिलाधिकारी से प्रतिहस्ताक्षर

अरुण

अरुण
18/4/2012

372
25/4/12

कराकर महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन तथा सचिव, पंचायती राज, उत्तराखण्ड को उपलब्ध करायेंगे। समय से उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त न होने पर भारत सरकार द्वारा अगली किश्त की धनराशि अवमुक्त नहीं की जायेगी। यदि उपयोगिता प्रमाण-पत्र के विलम्ब के कारण कोई धनराशि लैप्स होती है तो उसके लिये जिला पंचायत राज अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

- 7- अन्तरित धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर अगली किश्त अवमुक्त की जायेगी।
- 8- अन्तरित धनराशि का उपयोग केवल उसी कार्य हेतु किया जायेगा जिस कार्य के लिए धनराशि आवंटित की गई है। इसमें किसी प्रकार का व्यावर्तन/समायोजन अनुमन्य नहीं होगा।
- 9- अन्तरित धनराशि के समुचित उपयोग के लिए विभागीय अधिकारी /मुख्य/वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो उत्तरदायी होंगे।
- 10- संकमित की जा रही धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 के लेखानुदान की अनुदान संख्या-07 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 3604-स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन-आयोजनेत्तर-02-पंचायती राज संस्थायें- 198-ग्राम पंचायतें-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें- 0104-13वाँ वित्त आयोग द्वारा संस्तुत निष्पादन अनुदान-20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामे डाला जायेगा।

संलग्नक:- यथोक्त।

भवदीय,

(आर.सी.अग्रवाल)
अपर सचिव, वित्त।

संख्या: 211 / (XXVII (1) / 2012, तददिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, पंचायती राज, उत्तराखण्ड शासन।
2. आयुक्त गढ़वाल मण्डल/कुमाँऊ मण्डल, उत्तराखण्ड।
3. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. निदेशक, वित्त आयोग निदेशालय, उत्तराखण्ड शासन।
5. निदेशक, पंचायती राज, उत्तराखण्ड-देहरादून।
6. निदेशक भारत सरकार, वित्त मंत्रालय व्यय विभाग, वित्त आयोग प्रभाग, ब्लाक 11, पंचम तल सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स नई दिल्ली।
7. एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।

आज्ञा से,

(आर.सी.अग्रवाल)
अपर सचिव, वित्त।

13वें वित्त आयोग द्वारा संस्तुत ग्राम पंचायतों को वर्ष 2011-12 हेतु देय सामान्य निष्पादन अनुदान की रोकें गई किशत की धनराशि का अन्तरण। (विकासखण्डवार)

(धनराशि ₹ में)

क्र०सं०	जनपद	विकास खण्ड	ग्राम पंचायतों की संख्या	वर्ष 2011-12 हेतु देय सामान्य निष्पादन अनुदान की धनराशि
1	2	3	4	5
✓1-	अल्मोड़ा	स्याल्दे	93	212000
		ताकुला	89	203000
		धौलादेवी	109	248000
		भैसियाछाना	50	114000
		हवलबाग	125	285000
		लमगड़ा	97	221000
		द्वाराहाट	118	269000
		सल्ट	138	314000
		भिकियासैण	98	223000
		ताडीखेत	130	296000
		चौखुटियाँ	99	226000
		योग:-	1146	2611000
2-	बागेश्वर	कपकोट	115	262000
		गरुड़	101	230000
		बागेश्वर	181	412000
		योग:-	397	904000
3-	चमोली	कर्णप्रयाग	94	214000
		जोशीमठ	52	118000
		दशोली	65	148000
		घाट	52	118000
		पोखरी	76	173000
		गैरसैण	95	216000
		थराली	53	121000
		देवाल	44	100000
		नारायणबगड़	70	159000
		योग:-	601	1367000
4-	चम्पावत	लोहाघाट	65	148000
		बाराकोट	47	107000
		पाटी	79	180000
		चम्पावत	99	226000
		योग:-	290	661000
5-	देहरादून	डोईवाला	47	107000
		रायपुर	55	125000
		सहसपुर	55	125000
		विकासनगर	52	118000
		चकराता	97	221000
		कालसी	97	221000


(Handwritten signature)

क्र०सं०	जनपद	विकास खण्ड	ग्राम पंचायतों की संख्या	वर्ष 2011-12 हेतु देय सामान्य निष्पादन अनुदान की धनराशि
1	2	3	4	5
		योग:-	403	917000
6-	हरिद्वार	भगवानपुर	53	121000
		खानपुर	21	48000
		रूड़की	58	132000
		नारसन	58	132000
		लक्सर	48	109000
		बहादुराबाद	64	146000
		योग:-	302	688000
7-	नैनीताल	औखलकाण्डा	76	173000
		भीमताल	62	141000
		बेतालघाट	71	162000
		हल्द्वानी	69	157000
		रामनगर	53	121000
		रामगढ़	56	128000
		कोटाबाग	38	87000
		धारी	35	80000
		योग:-	460	1049000
8-	पौड़ी	बीरोखाल	102	232000
		द्वारीखाल	99	226000
		दुगड़डा	99	226000
		एकेश्वर	83	189000
		लैसडाउन (जहरीखाल)	74	169000
		कल्जीखाल	87	198000
		खिर्सू	43	98000
		कोट	68	155000
		नैनीडांडा	89	203000
		रिखणीखाल	81	185000
		थलीसैण	102	232000
		यमकेश्वर	86	196000
		पौड़ी	64	146000
		पाबो	74	169000
		पोखड़ा	57	130000
		योग:-	1208	2754000
9-	पिथौरागढ़	गंगोलीहाट	122	278000
		मुनाकोट	74	169000
		कनालीछीना	88	200000
		धारचूला	56	128000
		पिथौरागढ़(विण)	81	185000
		डीडीहाट	67	153000
		मुनस्यारी	93	212000
		बेरीनाग	88	200000
		योग:-	669	1525000

mbj

क्र०सं०	जनपद	विकास खण्ड	ग्राम पंचायतों की संख्या	वर्ष 2011-12 हेतु देय सामान्य निष्पादन अनुदान की धनराशि
1	2	3	4	5
10-	रुद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	156	355000
		जखोली	102	232000
		ऊखीमठ	65	148000
		योग	323	735000
11-	टिहरी	नरेन्द्रनगर	111	253000
		कीर्तिनगर	82	187000
		चम्बा	99	226000
		देवप्रयाग	111	253000
		भिलंगना	178	405000
		धौलधार	86	196000
		जौनपुर	124	282000
		प्रतापनगर	98	223000
		जाखड़ीधार	90	205000
		योग	979	2230000
12-	ऊधम सिंह नगर	खटीमा	55	125000
		सितारगंज	56	128000
		रुद्रपुर	45	103000
		गदरपुर	43	98000
		बाजपुर	39	89000
		काशीपुर	28	64000
		जसपुर	43	98000
		योग	309	705000
13-	उत्तरकाशी	भटवाड़ी	77	175000
		डुण्डा	88	200000
		चिन्ध्यालीसौण	74	169000
		नौराँव	113	257000
		पुरोला	40	91000
		मोरी	62	141000
		योग:-	454	1033000
		महायोग:-	7541	17179000

(₹ एक करोड़ इकहत्तर लाख उनासी हजार मात्र)


 (आर.सी. अग्रवाल)
 अपर सचिव, वित्त।